

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प. 19 (3) सा.प्र./ग्रुप-4/15

जयपुर, दिनांक 6/8/15

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 8.44 लाख (अक्षरे आठ लाख चवालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि लाखों में	राशि लाखों में
1	भरत सिंह शेखावत 3/62 गांधीनगर	1.Replacement of Wooden door 2. Steel door 3. AC Cement shed 4. Section window 5. Boundary wall 6. Kota stone 7. Aluminium door 8. Fiber sheet 9. Renovation of Toilet	0.15 0.08 0.09 0.05 0.07 0.16 0.11 0.29 0.16 0.60	1.76
2	कैलाश सहाय मीणा 3/105 गांधीनगर	1. AC sheet 10x15 2. MS door	0.33 0.06	0.39
3	राकेश भार्गव 3/100 गांधीनगर	1.PVC Tank 500 Ltr. with fitting 2. Flash door 3. Wardrop shutter 4. Kitchen Renovation	0.05 0.13 0.12 0.25	0.55
4	शुभकरण ई-2 गांधीनगर	1.MS door 2. Main gate 3. Kitchen Renovation 4. Toilet Renovation 5. Bath Renovation 6. Tile flooring 7. Electric Provision (wire change)	0.14 0.30 0.30 0.25 0.25 0.43 0.25	1.92
5	अर्पणा जैन ई-12 गांधीनगर	1. Kitchen Renovation 2. Toilet Renovation 3. Bath Renovation 4. Tile flooring 5. Windows 3x4'x4' 6. Door 4x3'x6' 7. Channel Door 5'x7' 8. Almirah0	0.25 0.25 0.25 0.50 0.16 0.21 0.18 0.10	1.90
6	दिनेश कुमार शर्मा ई-745 गांधीनगर	1. Car Shed by Fiber 2. Rough kota stone 3. Renovation of Bath 4. Tile flooring	0.79 0.19 0.40 0.54	1.92

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800-अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ व उनके समकक्ष श्रेणी के अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जाए।

भवदीय

sd/-
(एम.के. खींची)
शासन उप सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव (क)